



2026:AHC:49084-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत अपील (त्रुटिपूर्ण) संख्या - 40/2026

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती अनवरी बेगम एवं अन्य विपक्षी

अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता : एकांश वर्मा, विष्णु कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी हेतु अधिवक्ता :

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा पंचाट दिनांक 21.03.2016 के निष्पादन हेतु अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
2. इस न्यायालय ने रीता चड्ढा (मृतक) और 2 अन्य बनाम यू.पी. जल निगम और 9 अन्य: 2025:AHC:103318-DB में यह व्यवस्था दी है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1A) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत निष्पादन कार्यवाही में वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. मामले के उक्त परिप्रेक्ष्य में, अपील को सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह उपलब्ध अन्य कानूनी उपचारों का सहारा ले सकता है।
4. विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

आर.के./ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।